आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12.9.17	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया** नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 — 33/2012-13 68/2013-14 1. यादव कुलानन्द सिंह, पिता—स्व0 मनाई यादव 2. पवन कुमार पंकज, पिता—स्व0 उदयानंद यादव 3. पप्पु कुमार यादव, पिता—स्व0 उदयानंद यादव सभी ग्राम—खैरा चंदा, वर्त्तमान—दक्षिण मधुरा, थाना—नरपतगंज, जिला—अररिया — पुनरीक्षणकर्त्तागण **बनाम** 1. लक्ष्मी नारायण यादव व कृत्यानंद यादव व तीर्थानंद यदव व शिव प्रसाद यादव व सच्चिदानंद यादव, सभी पिता—स्व0 गुजी राम यादव 2. संजय यादव व सोना यादव, पिता—स्व0 गयानंद प्र0 यादव 3. सरीता देवी, पति—स्व0 गयानंद प्र0 यादव 4. रानी कुमारी, पिता—स्व0 गयानंद प्र0 यादव सभी ग्राम—रामघाट कोशकापुर, थाना—नरपतगंज, जिला—अररिया — विपक्षीगण **आदेश** प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद आवेदक यादव कुलानंद सिंह, पिता—स्व0 मनाई यादव एवं अन्य, सा0—खैराचन्दा, वर्त्तमान—दक्षिण मधुरा, थाना—नरपतगंज, जिला—अररिया की ओर से नामान्तरण अपील वाद सं0 25/2011—12 (लक्ष्मी नारायण यादव एवं अन्य बनाम यादव कुलानंद सिंह एवं अन्य) में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2012 के विरूद्ध विलम्ब को क्षांत करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा—05 के अधीन आवेदन पत्र सहित समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 18.3.2013 को दाखिल किया गया। समाहर्त्ता, अररिया द्वारा इसे दिनांक 31.01.2014 को विलम्ब को क्षांत करते हुए विचारार्थ स्वीकृत किया गया। साथ ही इसे विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया। उप समाहर्त्ता, प्रभारी जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 213/वि0, दिनांक 6.2.2013 द्वारा अभिलेख हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।	

वाद्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
रामघाट कोशकापुर अंचल–नरपतगंज	215	502	1474	78 डी0
			1475	26 डी0
			1481	7.20 ए0
			1482	42 डी0
			1478	1.26 ए0
		503	302	84 डी0
			303	29 डी0
		504	304	83 डी0
				कुल 10.88 ए0

विपक्षीगणों को सूचना निर्गत की गई। उनकी ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है।

पुनरीक्षणकर्त्तागण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादग्रस्त भूमि का सर्वे खतियान मनाई यादव के नाम से इन्द्राज हुआ। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिशान पुनरीक्षणकर्त्तागणों को वाद भूमि पर पंचनामा बँटवारा के आधार पर नामान्तरण वाद सं0 314/2010–11 द्वारा नामान्तरण होकर जमाबंदी सं0 2916 दर्ज हुआ तथा वाद भूमि पर पुनरीक्षणकर्त्तागणों का दखल–कब्जा है। अंचलाधिकारी, नरपतगंज द्वारा सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विधिपूर्वक आदेश पारित किया गया है। पुनरीक्षणकर्त्तागण के नामान्तरण वाद सं0 314/2010–11 के विरूद्ध विपक्षीगणों द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 25/2011–12 दाखिल किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज का आदेश दिनांक 31.10.2012 विधि संगत नहीं है। वह बाला–बाला आदेश है, जो खारिज होने योग्य हैं।

इनका यह भी कहना है कि विपक्षीगणों द्वारा जिस स्वत्व वाद सं0 1195/96 के पारित आदेश के आधार पर अपना दावा कर रहें है, उसे निरस्त करने हेतु पुनरीक्षणकर्त्तागणों द्वारा स्वत्व वाद सं0 23/2012 मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में दाखिल किया गया है। मनाई यादव की मृत्यु दिनांक 21.1.1991 को हो गई थी, जबकि स्वत्व वाद सं0 1195/96 में मनाई यादव के साथ हुये समझौते के आधार पर जो डिग्री पारित हुआ है, वह दिनांक 03.09.1997 का है।

अतएव नामान्तरण अपील वाद सं0 25/2011–12 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 31.10.2012 को निरस्त कर पुनरीक्षणकर्त्ता के नामान्तरण आदेश को बहाल रखे जाने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर विपक्षीगणों के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वाद भूमि विपक्षीगणों को स्वत्व वाद सं0 1195/96 में दिनांक 28.11.1996 को दाखिल समझौते

के आधार पर प्राप्त हुआ है। उक्त स्वत्व वाद पुनरीक्षणकर्त्ता के पूर्वज मनाई यादव के विरूद्ध विपक्षीगणों द्वारा दायर किया गया था और मनाई यादव द्वारा वाद भूमि पर विपक्षीगणों के दावे तथा दखल–कब्जा को स्वीकार किया गया था। इस भूमि पर पुनरीक्षणकर्त्तागणों का कोई वास्ता एवं सरोकार नहीं है। कतिपय कारणों से विपक्षीगणों द्वारा वाद भूमि का नामान्तरण नहीं कराया गया, जिसका लाभ उठाते हुए आवेदकगणों द्वारा वाद भूमि का आपसी पंचनामा तैयार कर अंचल कार्यालय, नरपतगंज से नामान्तरण वाद सं0 314/2010–11 द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के गलत प्रतिवेदन पर बिना स्वयं वाद भूमि के दखल–कब्जा की जाँच किये और विपक्षीगणों को बिना कोई सूचना दिये अपने नाम से नामान्तरण करा लिया गया। जिसके विरूद्ध विपक्षीगणों द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 25/2011–12 दाखिल किया, जिसमें विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा स्वयं स्थल जाँच कर 9 गवाहों का बयान लिया गया और विपक्षीगणों का वाद भूमि पर दखल–कब्जा एवं कागजात को सही पाते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है।

इनका यह भी कहना है कि स्वत्व वाद सं0 1195/96 में पारित डिग्री आदेश राजस्व न्यायालय पर बाध्यकारी होता है और जबतक स्वत्व वाद सं0 1195/96 में पारित आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं हो जाता है, तबतक वह आदेश वाद भूमि पर बना रहेगा। आवेदकगणों का यह कथन गलत है कि मनाई यादव की मृत्यु वर्ष 1991 में हो गई थी, क्योंकि मनाई यादव द्वारा वर्ष 2001 तक वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त किया गया है और मतदाता सूची में भी उस वर्ष तक उनका नाम दर्ज था। जिसकी पुष्टि भूतपूर्व मुखिया, सरपंच तथा वार्ड सदस्य द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र से भी होती है।

अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज का आदेश विधि सम्मत एवं न्यायपूर्ण है, जिसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का सर्वे खतियान मनाई यादव, पिता–बिसुन यादव, ग्राम–कोशकापुर के नाम से दर्ज है। मनाई यादव के मृत्युपरांत उनके तीन पुत्र यादव कुलानन्द सिंह, पवन कुमार पंकज एवं उदयानंद यादव उनके उत्तराधिकारी हुए। उदयानंद यादव की भी मृत्यु हो चुकी है। उनके पुत्र पप्पु कुमार यादव है। मनाई यादव के उत्तराधिकारी आवेदकगणों द्वारा आपसी पंचनामा बँटवारा कर बँटवारा के आधार पर अंचल कार्यालय, नरपतगंज से नामान्तरण वाद सं0 314/2010–11 द्वारा नामान्तरण कराकर जमाबंदी सं0 2916 दर्ज कराई गई। जिसके विरूद्ध विपक्षीगणो लक्ष्मी नारायण यादव एवं अन्य के द्वारा विज्ञ भूमि सुधारउप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के

न्यायालय में अपील वाद सं0 25/2011–12 दाखिल किया गया और उनके द्वारा पक्ष रखा गया कि उन्हें वादग्रस्त भूमि स्वत्व वाद सं0 1195/96 में मनाई यादव से समझौता के आधार पर दिनांक 28.11.1996 को डिग्री प्राप्त है। जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं तोड़ा गया है। अतएव स्वत्व वाद सं0 1195/96 के पारित आदेश प्रभावी है और इसकी बाध्यता राजस्व न्यायालय पर है। साथ ही आवेदकगणों का दावा कि मनाई यादव की मृत्यु 1991 में हो गई है, के दावा को गलत साबित करने के समर्थन में सन् 1995 के मतदाता सूची के क्रमांक 1022 पर मनाई यादव का नाम दर्ज होना और भूतपूर्व मुखिया, सरपंच तथा वार्ड सदस्य का प्रमाण पत्र दाखिल किया गया, जिससे स्पष्ट है कि मनाई यादव की मृत्यु वर्ष 2001 में हुई है।

जहाँ तक प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा का प्रश्न है तो विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा स्वयं दिनांक 30.10.2012 को स्थल निरीक्षण किया गया और स्थल पर उपस्थित नौ गवाहों का बयान दर्ज किया गया। उक्त नौ गवाहों द्वारा वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगणों के दखल कब्जा की पुष्टि की गई।

आवेदकगणों द्वारा स्वत्व वाद सं0 1195/96 के पारित आदेश को निरस्त करने हेतु वर्त्तमान में स्वत्व वाद सं0 23/2012 सक्षम न्यायालय में दाखिल करने का दावा किया गया है, तो उससे संबंधित कोई साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः नामान्तरण अपील वाद सं0 25/2011–12 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश को न्यायोचित पाते हुए, उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्न न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 31.10.2012 को बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्तागणों के पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह०–
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 127 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 12/09/2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, ~~अररिया~~ को नामान्तरण अपील वाद सं0 25/2011–12 (लक्ष्मी नारायण यादव एवं अन्य बनाम यादव कुलानंद सिंह एंव अन्य) मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.9.17
अपर समाहर्त्ता
अररिया

N.I.C.